was the number of vacancies of Group 'D' and in Postman cadre lying vacant as on June 30th, 1988 and 1989 and the number of extra departmental employees have been absorbed against these vacant posts till date ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Emoluments of E.D. employees

813. SHRI LAL K. ADVANI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extra departmental employees get fixed emoluments without any increase, in the shape of increment or otherwise ;

(b) if so, whether Government would consider to review the emoluments of extra departmental employees after a period of every three years by constituting some board or committee ; and

(c) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Although Extra Departmental employees get fixed basic emoluments, they get six monthly periodic raise in the form of dearness allowance at the same rate and frequency when it is paid to regular Government employees.

(b) and (c) Do not arise.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में आरक्षण का कोटा

814. श्री बच्चा प्रसाद आलवोय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये गये पदों के आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) पिछले तीन महीनों में भरे गये ऐसे पदो की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) 30 अप्रैल, 1989 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अग्रनीत आरक्षणों को भरने के लिये भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1 जून, 1989 से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है ।

(ख) आरक्षित रिक्तियां मंत्रालयों/विभागों के अधीन विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं । चूंकि 1 जून, 1989 के बाद केवल विशेष भर्ती अभियान के अधीन की गई भर्तियां ही मानीटर की जाती हैं अतः मांगी गई सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में दूरभाष और दूरभाष डायरेक्टरियां

815. डा० अब्दार अहमद खान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवेदकों की संख्या कितनी है जिन्होंने राजस्थान में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में दूरभाष की विभिन्न श्रेणियों के लिये अपने नाम पंजीकृत कराये है, पिछले तीन सालों में इन शहरों में प्रत्येक वर्ष लगाये गये दूरभाषों की संख्या क्या है, अगले वर्ष लगाये जाने वाले दूरभाषों की संभावित संख्या कितनी है, और इन पंजीकृत व्यक्तियों को दूरभाष कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ,

(ख) राजस्थान में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या है जो अभी तक एस०टी० डी० सेवा से नहीं जोडे गये हैं तथा इनमें यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है, इन संबंध मे हुई देरी के क्या कारण है ; और